प्रमाणित प्रतिलिपि नेमीचंद ... अनाम राज्य ...
प्रकरण संख्या 71/2025 ... जो न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
व मजिस्ट्रेट सोजत जिला पाली ... 03/04/25

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 71 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. नेमीचन्द पुत्र मांगीलाल उर्फ मंगलाराम जाति घांची निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान। हाल निवासी– 134 नन्द विहार कॉलोनी, श्योपुर मार्ग, सांगानेर जयपुर राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक – 03/04/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गांव सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत चक प्रथम तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 2314, 2332 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.2600 है0 की आयी हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम नैना अंकित हैं। राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा पेन ऑफ स्लिफ से सहवन से बिना सरकारी/अर्द्धसरकारी दस्तावेजों का अवलोकन किये प्रार्थी का नाम नेमीचंद के स्थान पर नैना अंकित कर दिया गया जो कि सद्भाविक रूप से सहवन से दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम नेमीचंद अंकित है, जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर सरहद मौजा गांव सोजत चक प्रथम तहसील सोजत के ख.नं. 2314, 2332 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.2600 है0 के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम नैना के स्थान पर नेमीचंद अंकित कर राजस्व रेकर्ड में संशोधन किया जाने की ईशतदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 3 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 04, 05 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
सोजत (पाली)

वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम नैना के स्थान पर नेमीचंद दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईशतदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्थान राज पत्र साधारण के 25/03/2025 के अंक 52, पेज संख्या 22542 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत प्रकाशित शपथ पत्र से प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम नैना नहीं होकर नेमीचंद होने की संपुष्टि होती है। जिससे प्रार्थित भूमि में दर्ज नैना के स्थान पर सही व वास्तविक नाम नेमीचंद दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी सोजत (पाली) (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गांव सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत चक प्रथम तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान कें ख.नं. 2314, 2332 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.2600 है0 के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम नैना के स्थान पर नेमीचंद दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
सोजत (पाली)